



## कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1720 / रा.नि.का. / 2014  
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 22 / 12 / 2014

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम  
अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र की प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान SEAM - III परियोजना (6 MTY) में स्थित कुल वन भूमि 185.017 हे० में स्थित राजस्व वन भूमि 8.307 हे० का अनापत्ति प्रमाण-पत्र गैर वानिकीय उपयोग हेतु प्रदाय करने बाबत ।

संदर्भ :

कार्यालय महाप्रबंधक एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र के पत्र क्रं. 1545 दिनांक 12.03.2014

\*\*\*\*\*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम खेदापाली के राजस्व वन भूमि छोटे झाड़ के जंगल खसरा नंबर 5/2, 0.380 हे. एवं 85/2क, 7.866 हे. रकबा कुल रकबा 8.307 हे. का गैर वानिकीय उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाही गई है।

उपरोक्त आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुशंसा अनुसार आवेदित ग्राम खेदापाली तहसील धरमजयगढ़ के कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 8.307 हे. राजस्व वन भूमि छोटे झाड़ का जंगल को गैर वानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 तहत नियमानुसार गैरवानिकी/व्यपवर्तन हेतु उच्च कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति देने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जावेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक / 22 / 12 / 2014

पृ.क्रमांक / 1720 / रा.नि.का. / 2014

प्रतिलिपि :-

महाप्रबंधक एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र को सूचनार्थ ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

NO (Forest)



## कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 232  
प्रति,

/स.अ.भू.अ./ 2015

रायगढ़ दिनांक 24/02/2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.)  
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड  
रायपुर (छ.ग.)

- विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाले वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 से प्रावधान अनुसार प्रदर्श 'स' प्रदाय करने बाबत।
- संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रं./भू-प्रबंध/खनिज/106/1082 रायपुर दिनांक 14.06.2012  
2. मेसर्स एसईसीएल/रायगढ़/उ.क्षे.प्र./छाल/वन एवं पर्या./15/455 दिनांक 23.02.2015

—00—

विषयांतर्गत महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल.रायगढ़ क्षेत्र, छाल उपक्षेत्र द्वारा खुली खदान परियोजना हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मण्डल के अन्तर्गत ग्राम लात एवं ग्राम खेदापाली तहसील धरमजयगढ़ स्थित वन भूमि कुल रकबा 185.017 हे. गैर वानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदर्श "स" में प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ से उपरोक्तानुसार ग्राम लात एवं ग्राम खेदापाली का प्रदर्श "स" में प्रमाण पत्र लिया गया।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के प्रमाण पत्र अनुसार प्रदर्श "स" सादर संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 232A  
प्रतिलिपि:-

/स.अ.भू.अ./ 2015

रायगढ़ दिनांक

24/02/2015

1. सचिव, छ.ग. शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ को सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. छाल रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)



## कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

### प्रमाण पत्र

मेसर्स एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान Seam-III परियोजना (6 MTY) के लिये 185.017 हे. राजस्व वन भूमि ग्राम लात में वन भूमि 176.710 हे. एवं ग्राम खेदापाली राजस्व वन भूमि 8.307 हे. कुल रकबा 185.017 हे., तहसील धरमजयगढ़ स्थित राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि गैरवानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली राजस्व वन भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है :-

1- कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ग्राम लात में वन भूमि 176.710 हे. एवं ग्राम खेदापाली राजस्व वन भूमि 8.307 हे. कुल रकबा 185.017 हे., तहसील धरमजयगढ़ स्थित राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 'स' के आधार पर तैयार किया गया है।

ग्राम लात में ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 02.10.2013 एवं ग्राम खेदापाली में ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 08.10.2014 (प्रदर्श 'अ' ) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श 'ब' ) पर दर्शित है।

2- कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 02.10.2013 को ग्राम लात के श्री रूपसिंह राठिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02.10.2013 को रखा गया था, इसमें 60 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे एवं ग्राम खेदापाली के श्रीमती पार्वती बाई कंवर की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08.10.2014 को रखा गया था, इसमें 52 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई।

3- प्रस्तावित राजस्व वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या निम्नानुसार है :-

| क्रं. | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | खसरा नंबर | रकबा (हे.में.) |
|-------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| 1     | 2            | 3            | 4                                  | 5         | 6              |
|       |              |              | निरंक                              |           |                |

4- कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उन ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

5- कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिसका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 " की धारा 3 (1) (E) अंतर्गत विशेष कर संरक्षित रखना है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति  
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

मेसर्स एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र की प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान Seam-III परियोजना (6 MTY) के लिये ग्राम लात के वन भूमि 176.710 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की ग्राम लात के वन भूमि 176.710 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम लात, तहसील धरमजयगढ़ में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 02 अक्टूबर 2013 को संपन्न ग्राम लात के ग्राम सभा एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम लात के श्री रूपसिंह राठिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02 अक्टूबर 2013 में रखा था एवं इसमें 60 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------|--------------|------------------------------------|---------------------|
|         | निरंक        | निरंक                              | निरंक               |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02 अक्टूबर 2013 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार “अनुसूचित जानजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006” की धारा 3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक

23 FEB 2015

(मुकेश बंसल)

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)  
धरमजयगढ़

मेसर्स एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र की प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान Seam-III परियोजना (6 MTY) के लिये ग्राम खेदपाली के राजस्व वन भूमि 8.307 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की ग्राम खेदपाली के राजस्व वन भूमि 8.307 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम खेदपाली, तहसील धरमजयगढ़ में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।  
ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 08 अक्टूबर 2014 को संपन्न ग्राम खेदपाली के ग्राम सभा एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) दर्शित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम खेदपाली के श्रीमति पार्वती बाई कंवर की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2014 में रखा था एवं इसमें 52 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---------|--------------|------------------------------------|---------------------|
|         | निरंक        | निरंक                              | निरंक               |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08 अक्टूबर 2014 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार “अनुसूचित जानजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006” की धारा 3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 08 अक्टूबर 2014 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक

23 FEB 2015

(मुकेश बंसल)

कलेक्टर

एवं

अनुविभागीय अधिकारी(रा०) अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति, जिला रायगढ़ (छ.ग.)  
धरमजयगढ़

कार्यालय, ग्राम पंचायत लात  
तहसिल-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

दिनांक,

20.3.2022

सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र

एस0ई0सी0एल0 के छाल खुली खदान की क्षमता विस्तार 01 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला उत्पादन से 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला उत्पादन क्षमता हेतु ग्राम पंचायत लात द्वारा सहमति/अनापत्ति पत्र प्रदान की जाती है।

  
सचिव  
ग्राम पंचायत लात  
तहसिल-धरमजयगढ़,  
जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

मनटोरी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत - लात  
ज.प. - धरमजयगढ़  
सरपंच  
ग्राम पंचायत लात  
तहसिल-धरमजयगढ़  
जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

| क्र | विषय                                                   | विवरण                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | असई सीपख<br>का के द्वारा<br>अनि अभिषेक<br>के संबन्ध के | असई द्वारा सभा के<br>के शासन के द्वारा तुम<br>द्वारा प्रस्तावित है कि परन्तु<br>खेदापाली के सम्बन्ध<br>खानादारी के नाकरी                                                                                          |
| 2   | असई सी<br>खाने के द्वारा<br>अभिषेक<br>के संबन्ध के     | आज सा सभा<br>नाम के उपस्थित व्यक्ति<br>ग्राम खेदापाली के<br>आने एवं ग्राम के सम्बन्ध<br>स्थिति यज्जी नाम दिया<br>खानेदार अमीन के छत्र<br>छाया गया।<br>अतः यही<br>बि. अमल संगों के मेरु किया<br>कई आपत्ति नहीं है। |

किशोर

कार्यवाही

यह चेकी किया गया कि साइ खेदापाली  
1400 खेड के अंग्रेजों के अभिषेक  
ग्राम वासीयों के अंग्रेजों नाम  
व्यक्ति को किया जावे एवं सम्बन्ध  
दिया जावे, अतः यह भी यह

किशोर

ये यह चेकी किया गया कि  
9 अंग्रेज यह संग्र किया गया कि  
सम्बन्ध करि के अभिषेक दिया  
खानेदारों के नाकरी दिया जावे  
गया कि साइ के अंग्रेजों के  
उचित सुवापन किया जावे।  
यह सम्बन्ध सवि सम्बन्ध प्राप्त

अंग्रेजों के अंग्रेज संग्र किया गया  
जाता है जो हम ग्राम वासीयों के

प्रीताराम  
उपसर्पक  
ग्राम खेदापाली खेदापाली  
दि. 8/10/14  
सि. 10/14 (उ. ग.)

पसंती  
27/10/14  
अमल

किशोर  
ग्राम खेदापाली खेदापाली  
दि. 8/10/14  
सि. 10/14 (उ. ग.)

पसंती  
27/10/14  
अमल



## ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही का विवरण

प्रदर्श-“ब”

ग्राम - लात

दिनांक 02/10/2013

स्थान - पंचायत कार्यालय प्रांगण, लात

आज दिनांक 02/10/2013 को ग्राम-लात, तहसील-धरमजयगढ़, के श्री रुपसिंह राठिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक की सभा आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के कुल लगभग 60% सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र ने ग्राम लात की वन भूमि 176.710 हेक्टेयर के व्यपवर्तन (गैर वानिकी कार्य) के लिये आवेदन पत्र क्रमांक एसईसीएल/उ.क्षे.प्र./छाल उपक्षेत्र/13/3242 दिनांक 29/09/2013 के तहत मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावत् विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई।
3. इस वन भूमि की व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई। जो कुल वन भूमि 176.710 हेक्टेयर गैर वानिकी कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि सम्पादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

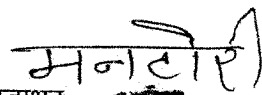
अथवा

आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है जिसका विवरण पृथक से सूची अनुसार संलग्न है।

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ग्राम -लात की कुल वन भूमि 176.710 हेक्टेयर को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड छाल उपक्षेत्र को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

उपस्थित सदस्यगण :-

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों की सूची एवं हस्ताक्षर सत्यापित कर संलग्न किया गया।

  
हस्ताक्षर   
न   
(सरपंच, ग्राम पंचायत लात)  
सील

# ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही का विवरण

प्रदर्श-“ब”

ग्राम – खेदापाली

दिनांक 08/10/2014

स्थान – पंचायत कार्यालय प्रांगण, खेदापाली

आज दिनांक 08/10/2014 को ग्राम-खेदापाली, तहसील-धरमजयगढ़, के श्रीमती पार्वती वाई कवर की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक की सभा आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के कुल लगभग 300 (52%) सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम खेदापाली में आवेदक मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल 8.307 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावत् विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई।
3. इस वन भूमि की व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई। जो कुल राजस्व वन भूमि 8.307 हेक्टेयर गैर वानिकी कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि सम्पादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है जिसका विवरण पृथक से सूची अनुसार संलग्न है।

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ग्राम –खेदापाली की कुल राजस्व वन भूमि 8.307 हेक्टेयर को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड छाल उपक्षेत्र को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे बशर्ते ग्राम के समस्त भूमि को अधिग्रहण किया जावे एवं ग्राम के समस्त खातेदारों को नौकरी दिया जावे तथा उचित मुआवजा दिया जावे।

उपस्थित सदस्यगण :-

ग्रामसभामें उपस्थित ग्रामवासियों की सूची एवं हस्ताक्षर सत्यापित कर संलग्न किया गया।

हस्ताक्षर

संलग्न

ग्राम पंचा - खेदापाली

नाम - राधा कृष्ण रायगढ़

सरपंच

ग्राम – खेदापाली

(सील)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़

:: ज्ञापन ::

क्रमांक 142/वाचक-1/2015  
प्रति,

धरमजयगढ़ दिनांक 23/02/2015

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र की प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान SEAM-III परियोजना (6 MTY) के लिए ग्राम लात के वन भूमि 176.710 हे० एवं ग्राम खेदापाली के राजस्व वन भूमि 8.307 हे० कुल वन भूमि 185.017 हे० का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ :- उप महाप्रबंधक (खनन) उप क्षेत्रीय प्रबंधक एस.ई.सी.एल. छाल उपक्षेत्र का ज्ञापन क्रमांक एस.ई.सी.एल./राय/उक्षेत्र/छाल/वन एवं पर्या/15/295 दिनांक 31 जनवरी 2015

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत उप महाप्रबंधक (खनन) उपक्षेत्रीय प्रबंधक एस.ई.सी.एल. छाल उपक्षेत्र द्वारा संदर्भित पत्र में ग्राम लात के वन भूमि 176.710 हे० एवं ग्राम खेदापाली के राजस्व वन भूमि 8.307 हे० कुल वन भूमि 185.017 हे० भूमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने निवेदन किया गया है।

इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत लात एवं सरपंच ग्राम पंचायत खेदापाली से ग्राम सभा का प्रस्ताव मंगाया गया।

(1) सरपंच ग्राम पंचायत लात द्वारा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02 अक्टूबर 2013 की कार्यवाही विवरण प्रदर्श "ब" में पेश किया है जिसमें सरपंच द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम लात के कुल 22 अनुचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार पत्र दिनांक 26 सितम्बर 1984 को प्रदान किया गया है साथ ही सरपंच द्वारा तथाकथित भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की फोटोकापियाँ संलग्न किया गया है। प्रस्तुत भू स्वामित्व प्रमाण पत्र में किसी भी सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। उक्त दस्तावेज को वन अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रदत्त वन अधिकार की संख्या निरंक मानी जावेगी।

(2) ग्राम पंचायत खेदापाली का बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2014 की कार्यवाही विवरण प्रदर्श "ब" में पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम खेदापाली में अनुचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार पत्र किसी को प्रदान नहीं किया गया है। अतः प्रदत्त वन अधिकार की संख्या निरंक मानी जावेगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम लात एवं ग्राम खेदापाली के वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदर्श "स" तैयार कराकर श्रीमान् कलेक्टर महोदय रायगढ़ की ओर सादर सम्प्रेषित।

सहपत्र:-उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
अनुविभागीय अधिकारी (रा)  
धरमजयगढ़